# कार्यालय, निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा (उ0प्र0)
# कृषि निदेशालय, लखनऊ।

नीलामी सूचना संख्या–2/2019–20/s-1011 दिनांक : लखनऊ : 28 अगस्त, 2019

## नीलामी की सूचना एवं शर्तें

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आगामी दिनांक 11.09.2019 को अपरान्ह 03.00 बजे निष्प्रयोज्य सामग्री यथा स्टील आलमारी, वुडेन कुर्सी, वुडेन टेबिल, कम्प्यूटर टेबिल, रिवाल्विंग चेयर, रैक स्टील तथा हीटर आदि की नीलामी कृषि निदेशालय, लखनऊ (उ0प्र0) के तृतीय तल स्थित हाल में की जानी है। इच्छुक व्यक्ति उक्त सामग्रियों की नीलामी की तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 11.00 बजे से सायं 04.00 बजे तक कार्यालय निदेशक, कृषि सांख्यिकीय एवं फसल बीमा (उ0प्र0), कृषि निदेशालय, लखनऊ में जाकर सामग्री को देख–परख लें, नीलामी के उपरान्त कोई कमी इंगित की जाती है, वह मान्य नहीं होगी।

| क्र0 सं0 | सामग्री का विवरण | नीलामी का दिनांक | धरोहर धनराशि (रू0) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | निष्प्रयोज्य सामग्री यथा स्टील आलमारी, वुडेन कुर्सी, वुडेन टेबिल, कम्प्यूटर टेबिल, रिवाल्विंग चेयर, रैक स्टील तथा हीटर आदि | 11.09.2019 | 5000.00 |

**नीलामी की शर्तें निम्नानुसार हैः–**

1. सामग्री की नीलामी **''जहाँ है जिस स्थिति में है''** के आधार पर की जायेगी, नीलामीदाताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे नीलामी में बोली बोलने से पूर्व सामग्री कार्य स्थल पर जाकर स्वयं देख परख लें, नीलामी के बाद यदि सामग्री में कोई कमी इंगित की जाती है, वह मान्य नहीं होगा।
2. बोली बोलने वाले को बोली तिथि से एक दिन पूर्व दिनांक 10.09.2019 को प्रातः 11.00 बजे से अपरान्ह 4.00 बजे तक उपरोक्त कालम–5 में दर्शायी गई धरोहर धनराशि नकद रूप में जमा करना अनिवार्य होगा एवं उसे अपनी फोटो पहचान पत्र एवं पता प्रमाण पत्र जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र की मूल प्रति दिखाना व छायाप्रति जमा करना एवं नीलामी प्रपत्र के साथ जमा करना अनिवार्य होगा।
3. उच्चतम बोलीदाता को अधिकतम बोली की धनराशि का 25 प्रतिशत धनराशि, नीलामी समाप्त होने पर तुरन्त जमा करनी होगी, अन्यथा बोलीदाता द्वारा जमा की गयी धरोहर धनराशि सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी।
4. उच्चतम बोलीदाता की उपरोक्त जमानत धनराशि रोक कर शेष बोलीदाताओं की जमानत धनराशि उसी समय वापस कर दी जायेगी।
5. नीलामी की बोली सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत होने के पश्चात सूचना मिलते ही उच्चतम बोलीदाता द्वारा नीलामी की शेष धनराशि एवं नीलामी की कुल धनराशि पर देय जी0एस0टी0 सहित कुल धनराशि 07 (सात) दिवस के अन्दर जमा करनी होगी जिसे न जमा करने पर बोलीदाता के पक्ष में स्वीकृत की गई नीलामी को निरस्त करते हुए उसकी जमा की गयी धनराशि सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी।
6. नीलामी में भाग लेने हेतु निर्धारित नीलामी आवेदन प्रपत्र दिनांक 06.09.2019 से दिनांक 10.09.2019 तक पूर्वान्ह 11.00 बजे से सायं 04.00 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय, निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा (उ0प्र0), कृषि निदेशालय, लखनऊ से प्राप्त किये जा सकते है।
7. नीलामी का निस्तारण न होने तक नीलामी बोली की 25 प्रतिशत जमा धनराशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।
8. नीलामी को स्वीकृत व अस्वीकृति करने का अधिकार, निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा (उ0प्र0), कृषि निदेशालय, लखनऊ के पास सुरक्षित होगा।
9. उक्त तिथि पर किन्ही कारणों से नीलामी नहीं की जाती है तो किसी व्यक्ति/फर्म का किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा एवं सभी प्रकार के सम्पूर्ण अधिकार विभाग के पास सुरक्षित होंगे।
10. कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे के स्थान पर बोली नहीं लगा सकता है।
11. बोलीदाता की फर्म जी0एस0टी0 में पंजीकृत होनी चाहिए।
12. बोली स्वीकृत होने पर बोलीदाता को बोली की सम्पूर्ण धनराशि देय सभी करों सहित जमा करने के एक सप्ताह के अन्दर ही समस्त सामग्री अपने खर्चे पर उठाना होगा अन्यथा विभाग द्वारा प्रतिदिन के हिसाब से विलम्ब शुल्क अलग से लगाया जायेगा।
13. नीलामी की उक्त सभी शर्तें Website : www.upagripardarshi.gov.in पर उपलब्ध है।

28/8/19

निदेशक,
कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, (उ0प्र0)
कृषि निदेशालय, लखनऊ।

C:\Users\gggg\Desktop\Santosh Singh\Neelami ki suchana and sharte____26-08-2019.docx